



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या- 627 राँची, सोमवार,

20 दिसम्बर, 2021 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

17 दिसम्बर, 2021

संख्या-08/निकाय/06/2020न.वि.आ./4038--सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक-841 दिनांक-11.09.2020 के द्वारा श्री वेद प्रकाश सिंह, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-39, राँची नगर निगम के विरुद्ध शिकायतकर्ता श्री अभिषेक कुमार, पिता-स्व. नरसिंह प्रसाद का अभिलेख विभाग को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि वर्ष 2018 के निर्वाचन के समय गलत शपथ पत्र के आधार पर श्री वेद प्रकाश सिंह, राँची नगर निगम में वार्ड पार्षद के पद पर निर्वाचित हुए। साथ ही, इन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति, न्यायालय में लंबित अपराधिक वाद आदि के संबंध में गलत शपथ पत्र दिया है।

- उक्त आलोक में झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत श्री वेद प्रकाश सिंह, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-39, राँची नगर निगम के विरुद्ध गठित आरोप एवं प्राप्त बचाव-बयान की सुनवाई विभाग स्तर से गठित जाँच समिति द्वारा की गई।

3. जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार न्यायिक दंडाधिकारी-X, राँची के धुर्वा थाना कांड संख्या-207/2014, GR केस नं.-5577/2014 में इनके विरुद्ध 17.01.2015 को भा.द.वि. की धारा-341, 323, 504/34 में संज्ञान लिया गया था तथा 09.12.2016 को जमानत पर रिहा किये गये थे। आगे दिनांक-03.04.2017 को उनके विरुद्ध भा.द.वि. की उपर्युक्त धाराओं में 'आरोप पत्र' गठित किया गया था तथा दिनांक-09.03.2018 को जब इनके द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नाम निदेशन के साथ प्रपत्र-24 में शपथ पत्र दिया गया, उस समय इनके विरुद्ध आरोप गठित था तथा आलोच्य अपराधिक वाद लंबित था। इसी की कंडिका-5 (2) में अपराधिक कृत्य 'संज्ञान' लिये जाने के संबंध में भी गलत शपथ पत्र दिया गया।

प्रपत्र-24 की कंडिका-5 में उन्होंने अपराधिक कृत्य/कंडिका-6 में चल संपत्ति/कंडिका-7 में अचल संपत्ति तथा कंडिका-8 में सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सरकारी देनदारियों/बकाया के संबंध में भी कंडिका-8(ii) में भी गलत शपथ पत्र दिया गया।

जाँच पदाधिकारी के द्वारा उक्त आलोक में अनुशंसा की गई कि श्री वेद प्रकाश सिंह, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-39, राँची नगर निगम को वार्ड पार्षद के पद से पद मुक्त किया जाय।

4. अतएव जाँच पदाधिकारी की अनुशंसा, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-18 (2), 543 (1) एवं धारा-584 (1) तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के नियम-3.11 के अधीन दोषी पाये जाने के कारण श्री वेद प्रकाश सिंह, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-39, राँची नगर निगम को वार्ड पार्षद के पद हेतु अयोग्य घोषित करते हुए पद मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
